

## अध्याय-II : वाणिज्यकर

### 2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य करों<sup>1</sup> का संग्रहण वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्यकर आयुक्त होते हैं। वाणिज्यकर आयुक्त के कार्य सम्पादन में मुख्यालय स्तर पर छ: अपर आयुक्त एवं तीन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त सहयोग करते हैं। क्षेत्र स्तर पर प्रशासनिक सुविधा हेतु राज्य को नौ<sup>2</sup> प्रशासनिक प्रमंडलों, सात<sup>3</sup> अपीलीय प्रमंडलों एवं चार<sup>4</sup> लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 50 अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके प्रधान वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्यकर पदाधिकारी करते हैं। वास्तविक कर संग्रहण हेतु अंचल, विभाग का मूलभूत केन्द्र है।

### 2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

#### 2.2.1 बिक्री, व्यापार आदि पर कर/ मूल्यवर्द्धित कर

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान बजट आकलन तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ घट्स (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	(रु करोड़ में) कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक बिक्री कर/ मूल्यवर्द्धित कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005–06	2,356.31	1,733.60	(-) 622.71	(-) 26.43	3,561.10	48.68
2006–07	2,364.67	2,081.49	(-) 283.18	(-) 11.98	4,033.08	51.61
2007–08	2,879.93	2,534.80	(-) 345.13	(-) 11.98	5,085.53	49.84
2008–09	2,937.72	3,016.47	78.75	2.68	6,172.74	48.87
2009–10	3,948.03	3,839.29	(-) 108.74	(-) 2.75	8,089.67	47.46

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक राज्य की कुल कर प्राप्ति की तुलना में वास्तविक बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्ति की प्रतिशतता में लगातार कमी हुई।


बजट आकलन तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न ग्राफ में दिया गया है:

<sup>1</sup> वाणिज्यकर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क तथा मनोरंजन कर शामिल है।


<sup>2</sup> भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

<sup>3</sup> भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णिया एवं तिरहुत।

<sup>4</sup> भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।



वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ (₹ 8089.67 करोड़) में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:




### 2.2.2 प्रवेश कर

वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान बजट आकलन तथा प्रवेश कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शाई गई है:


वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	(₹ करोड़ में) कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्रवेश कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005–06	312.00	613.38	301.38	96.60	3,561.10	17.22
2006–07	603.64	783.01	179.37	29.71	4,033.08	19.41
2007–08	381.33	937.87	556.54	145.95	5,085.53	18.44
2008–09	825.00	1,279.41	454.41	55.08	6,172.74	20.73
2009–10	1,270.00	1,613.16	343.16	27.02	8,089.67	19.94

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान बजट आकलन के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों में कोई समरूपता नहीं थी। राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में प्रवेश कर से वास्तविक प्राप्ति की प्रतिशतता में 2006–07 एवं 2008–09 के विरुद्ध 2007–08 एवं 2009–10 में गिरावट हुई थी।

बजट आकलन तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ-साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न ग्राफ में दिया गया है:



वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 8089.67 करोड़) में प्रवेश कर प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



### 2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2010 को वाणिज्यकर से संबंधित राजस्व के बकाये ₹ 1358.78 करोड़ थीं, जिसमें से ₹ 330.19 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। निम्न तालिका वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को दर्शाता है:

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकायों का अंत शेष (₹ करोड़ में)
2005–06	715.05	215.82	916.01
2006–07	916.01	212.21	994.17
2007–08	994.17	196.01	963.83
2008–09	963.83	168.66	1,007.25
2009–10	1,007.25	112.15	1,358.78

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वाणिज्यकर से संबंधित राजस्व के बकायों में वर्ष 2008–09 की तुलना में वर्ष 2009–10 में काफी बढ़ोत्तरी हुई जबकि वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान संग्रहण में लगातार कमी हुई।

बकायों के संचयन की बढ़ती प्रवृत्ति के विरुद्ध राजस्व के बकायों के संग्रहण में हो रही गिरावट को रोकने हेतु सरकार उचित कदम उठा सकती है।

### 2.4 निर्धारिति की विवरणिका

जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य में निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 1,76,788 थी, जिसमें से 50,211 व्यवसायी करदाता थे।

अगस्त एवं अक्टूबर 2010 के बीच माँग किए जाने के बावजूद विभाग ने व्यवसायियों से संबंधित कोई अन्य सूचना जैसे कि बड़े कर दाताओं की संख्या, छोटे व्यवसायियों की संख्या, वैसे व्यवसायियों की संख्या जिन्हें रिटर्न दाखिल करना था, प्राप्त रिटर्न की संख्या और वैसे व्यवसायी जिन्होंने रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये थे उनके विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्रवाई आदि प्रस्तुत नहीं किये (दिसम्बर 2010)।

## 2.5 संग्रहण का विश्लेषण

कर निर्धारण से पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद वर्ष 2009–10 की अवधि के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर के कुल संग्रहण का ब्योरा तथा वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा दिए गए विगत चार वर्षों के तदनुसंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)									
राजस्व शीर्ष	वर्ष	कर निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क के मुगादान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	वापस की गई राशि	विभाग के अनुसार निवल संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार निवल संग्रहण	कॉलम 8 से 3 की प्रतिशतता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर / मूल्यवर्द्धित कर	2005–06	1,664.13	69.92	0.89	17.36	1,716.70	1,733.60	95.99	
	2006–07	2,002.62	81.25	2.81	11.96	2,071.92	2,081.49	96.21	
	2007–08	2,537.11	39.86	2.24	38.00	2,538.97	2,534.80	100.09	
	2008–09	3,049.18	54.22	1.04	38.92	3,065.52	3,016.47	101.08	
	2009–10	3,793.15	50.25	1.40	19.86	3,823.54	3,839.29	98.80	

इस प्रकार वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक नियमित कर निर्धारण से पूर्व कर संग्रहण की प्रतिशतता में लगातार वृद्धि हुई। हालाँकि वर्ष 2009–10 के दौरान पूर्व के वर्ष के विरुद्ध 2.28 प्रतिशत की कमी हुई।

## 2.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

### राजस्व प्रभाव

वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर से संबंधित राजस्व का आरोपण नहीं/कम किए जाने, वसूली नहीं/कम होने, अवनिर्धारण/हानि, गलत छूट दिए जाने, आवर्त का छिपाव, कर की गलत दर लगाए जाने, गलत संगणना किए जाने इत्यादि के 2,228 मामले जिसमें ₹ 1216.89 करोड़ शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 644.13 करोड़ से सन्तुष्टि 271 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। हालाँकि वसूली मात्र ₹ 1.48 करोड़ थी, जैसाकि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)						
वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
2004–05	33	576	142.82	25	10.82	1 0.01
2005–06	48	460	30.32	58	12.29	54 1.25
2006–07	40	365	62.82	76	2.12	शून्य शून्य
2007–08	36	479	315.60	70	2.64	— 0.14
2008–09	41	408	665.33	42	616.26	15 0.08
कुल	198	2,288	1,216.89	271	644.13	70 1.48

स्वीकृत मामलों में सन्तुष्टि ₹ 644.13 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 1.48 करोड़ (0.23 प्रतिशत) की नगण्य वसूली किया जाना, सरकार/विभाग की ओर से तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि सन्तुष्टि राशि, कम से कम स्वीकृत मामलों में, की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठायें।

## 2.7 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः वित्त (लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा दल में तीन सदस्य होते हैं, जिसमें से एक दल का प्रमुख होता है। लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय/प्रमंडलीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा दल हेतु कर्मियों को लिया जाता है। वित्त (वाणिज्यकर) विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल हैं जो वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखों के सही होने का पता लगाने के लिए उत्तरदायी हैं।

विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, लेखापरीक्षा की गई कार्यालयों की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया।

## 2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009–10 में हमने वाणिज्यकर से संबंधित 36 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 1,263.56 करोड़ से सन्निहित 882 मामलों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
<b>क : विक्री, व्यापार आदि पर कर / मूल्यवर्द्धित कर</b>			
1.	कर का नहीं/ कम आरोपण	144	66.91
2.	कर से छूट की अनियमित अनुमति	149	587.09
3.	अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	107	56.39
4.	कर के रियायती दर की अनियमित अनुमति	45	7.63
5.	कर का गलत दर लगाया जाना	84	123.04
6.	आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	201	317.86
7.	कर के अधिक रांग्रहण हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना/ संगणना में भूल	04	10.28
8.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं/ कम किया जाना	06	0.21
9.	अन्य मामले	91	27.12
<b>कुल</b>		<b>831</b>	<b>1,196.53</b>
<b>ख : प्रवेश कर</b>			
1.	प्रवेश कर का नहीं/ कम आरोपण	28	9.29
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	09	8.65
3.	अन्य मामले	14	49.09
<b>कुल</b>		<b>51</b>	<b>67.03</b>
<b>कुल योग</b>		<b>882</b>	<b>1,263.56</b>

वर्ष के दौरान विभाग ने 806 मामलों में ₹ 920.97 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 901.22 करोड़ से सन्निहित 754 मामले वर्ष 2009–10 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। वर्ष 2009–10 के दौरान 110 मामलों में ₹ 52.21 लाख की वसूली हुई।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 841.96 करोड़ से सन्निहित कुछ मामले निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित हैं।

## 2.9 लेखापरीक्षा अवलोकन

वाणिज्यकर विभाग के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में संबंधित अधिनियम/नियमों एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के कई मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमारे द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित हैं। विभागीय प्राधिकारियों द्वारा की गयी इन त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही हैं बल्कि लेखापरीक्षा होने तक इसका पता नहीं लगाया गया। यह आवश्यक है कि सरकार आन्तरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

**क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर**

## 2.10 आवर्त का छिपाव

दस<sup>5</sup> वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31(2) के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत कर योग्य कोई आवर्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अंदर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं व्याज के अलावे वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

एवं क्रय की सूचनाओं के साथ तिर्यक जाँच करने हेतु कोई तंत्र विहित नहीं किया था।

**2.10.1** हमलोगों ने मार्च 2009 एवं मार्च 2010 के बीच पाया कि 16 व्यवसायियों (12 स्व-निर्धारित, तीन संवीक्षित तथा एक कर निर्धारित) ने वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान ₹ 1,035.06 करोड़ का माल क्रय/विक्रय किया, जैसाकि उनके क्रय/विक्रय विवरणियों, रोड परमिट, घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणी एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया था। हालाँकि उनलोगों ने अपने रिटर्न इत्यादि में ₹ 953.32 करोड़ ही लेखापित किए थे एवं इस प्रकार ₹ 81.74 करोड़ के मालों के क्रय/विक्रय का छिपाव किया। चूँकि विभाग ने सूचनाओं की तिर्यक जाँच हेतु कोई अनुदेश निर्गत नहीं किया था, निर्धारण प्राधिकारी उन मामलों में छिपाव का पता नहीं लगा सके, जहाँ लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्व-निर्धारित/संवीक्षित रिटर्न पर आधारित थे एवं शेष एक मामले (सीतामढ़ी) में अक्टूबर 2008 में कर निर्धारण किए जाने के बावजूद भी निर्धारण प्राधिकारी छिपाव का पता नहीं लगा पाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.67 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 62.22 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने 11 मामलों में ₹ 3.03 करोड़ का माँग सृजित किया जिसमें पटना पश्चिमी अंचल का एक मामला भी सन्तुष्टि है जहाँ निर्धारण प्राधिकारी ने यह कहते हुए अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया कि विहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के आधार पर कर निर्धारण किया जाना) में अर्थदण्ड का आरोपण किए जाने का प्रावधान

हमलोगों ने पाया कि सरकार/विभाग ने रिटर्न की संवीक्षा करते समय रिटर्न में घोषित आवर्त का व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों, जैसे रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ-साथ घोषणा प्रपत्रों अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त विक्रय

<sup>5</sup> बाढ़, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, पाटलीपुत्र, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, शाहाबाद, सीतामढ़ी एवं तेघड़ा।

नहीं है। उत्तर नियमानुकूल नहीं है क्योंकि धारा 31 के साथ पठित धारा 33, निर्धारण प्राधिकारी को अर्थदण्ड के आरोपण सहित पुनर्निर्धारण करने के लिए प्रावधित करता है। हमलोग स्वीकार्य मामलों में वसूली की रिस्ति पर प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

**2.10.2** पटना विशेष अंचल में निबंधित पेट्रोलियम पदार्थों के एक व्यवसायी के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से मार्च 2010 में हमने पाया कि प्रवेश कर के तहत दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न के अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान व्यवसायी ने वार्तव में ₹ 19,426.14 करोड़ के मालों का क्रय किया, लेकिन अपने मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मात्र ₹ 18,740.92 करोड़ ही लेखापित किया। इस प्रकार व्यवसायी ने ₹ 685.22 करोड़ के मालों का क्रय का छिपाव किया। उपरोक्त प्रावधान के अभाव के कारण निर्धारण प्राधिकारी आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 411.14 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 548.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने अगस्त 2010 में मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न में क्रय मूल्य के कम लेखापित किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि मात्रा के संदर्भ में कोई अंतर नहीं था तथा प्राप्तियों के मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बीच कोई संबंध नहीं था तथा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्राप्तियों के मूल्य में कोई बदलाव का प्रभाव सिर्फ लाभ/हानि के अवशेष पर पड़ेगा जो कि अर्थहीन है और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई विक्रय करारोपण से वंचित नहीं रह गया है तथा कर दायित्व को कम प्रतिवेदित नहीं किया गया है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अवलोकन क्रय के छिपाव से संबंधित है एवं निर्धारिती के साथ-साथ निर्धारण प्राधिकारी ने भी कहा कि प्रवेश कर के तहत प्रतिवेदित प्राप्ति मूल्य सही था तथा मूल्यवर्द्धित कर के तहत दाखिल त्रैमासिक रिटर्न में प्राप्ति को प्रतिवेदित किए जाने में भूल मूलरूप से समय के अन्तराल के कारण द्वितीय एवं चतुर्थ त्रैमास में हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि त्रैमासिक मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न दाखिल करते समय क्रय मूल्य की गणना करने में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया था, जिसके फलस्वरूप मूल्यवर्द्धित कर के अन्तर्गत क्रय मूल्य का छिपाव/कम प्रतिवेदित हुई। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के अंतर्गत छिपाए गए क्रयों पर कर एवं अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

## 2.11 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति

### पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16, इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अन्दर किसी निबंधित व्यवसायी से कर का भुगतान करने के पश्चात् कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, अगर मालों की बिक्री राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राजीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई हो। पुनः अधिनियम की धारा 31 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक/गलत दावों के लिए भुगतेय कर के तीन गुना के समतुल्य अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है। केवल धारा 4 एवं 14 के तहत किया गया कर का भुगतान ही धारा 16 के अंतर्गत दावे किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु योग्य है तथा धारा 3 ए ए के तहत भुगतान किया गया किसी तरह का अतिरिक्त कर इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु अनुज्ञेय नहीं है।

क्रेता व्यवसायी मात्र ₹ 25.05 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के परिणामस्वरूप ₹ 25.73 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा किया गया। इस अधिक दावे हेतु ₹ 77.18 करोड़ के अर्थदण्ड की गणना की गयी।

**2.11.2** पटना विशेष अंचल के एक व्यवसायी के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से मार्च 2010 में हमलोगों ने पाया कि उसने वर्ष 2006-07 के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 154.69 करोड़ मूल्य के मालों के क्रय पर ₹ 20.82 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि वार्षिक रिटर्न में दर्शाई गई क्रय आँकड़ों के अनुसार व्यवसायी ₹ 154.69 करोड़ मूल्य के मालों के उसी क्रय पर मात्र ₹ 15.26 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ही हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायी ने ₹ 5.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा किया। इस अधिक दावे हेतु ₹ 16.70 करोड़ के अर्थदण्ड की गणना की गयी।

**2.11.3** पाटलीपुत्र अंचल के एक व्यवसायी के वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से जनवरी 2010 में हमलोगों ने पाया कि व्यवसायी, जो ₹ 3.62 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु हकदार थे, ने ₹ 6.62 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था जिसमें धारा 3 ए ए के तहत उसके द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त कर भी शामिल था, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु अनुमान्य नहीं था। इस प्रकार व्यवसायी ने ₹ तीन करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा किया। इस अधिक दावे हेतु ₹ नौ करोड़ के अर्थदण्ड की गणना की गयी।

उपरोक्त सभी मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावों के परिणामस्वरूप ₹ 102.88 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 137.17 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गयी।

**2.11.1** पटना विशेष अंचल के दो व्यवसायियों के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से मार्च 2010 में हमने पाया कि उन्होंने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 481.63 करोड़ के मालों के क्रय मूल्य पर ₹ 50.78 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया। हमने इन क्रय मूल्यों का विक्रेता व्यवसायी के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न बिक्री विवरणियों की तिर्यक जाँच की तथा पाया कि विक्रेता व्यवसायियों ने क्रेता व्यवसायियों को मात्र ₹ 196.04 करोड़ की ही बिक्री की थी तथा उसपर ₹ 25.05 करोड़ के कर की वसूली की थी। इस प्रकार

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने पाटलीपुत्र अंचल के लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 12 करोड़ की माँग का सृजन किया। पुनः निर्धारण प्राधिकारी, पटना विशेष अंचल ने जनवरी 2011 में कहा कि इन मामलों में सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। स्वीकार्य मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में आगे की प्रगति हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

## 2.12 कर का गलत दर लगाया जाना

### सात<sup>6</sup> वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत विहित दर पर ब्याज एवं अर्थदण्ड आरोप्य है यदि भुगतेय कर की राशि को कम करने हेतु बिक्री के पूर्ण एवं सही ब्योरे देने में व्यवसायी विफल रहता है।

विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की सही दर के बदले चार प्रतिशत की कम दर निर्धारित किया। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ऐसे गलत दर लगाए जाने का पता नहीं लगाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.75 करोड़ के ब्याज एवं ₹ 19.32 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 28.51 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ (परिशिष्ट III)।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने 10 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 10.79 करोड़ के लिए माँग का सृजन किया। स्वीकार्य मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामले में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2010)।

## 2.13 रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किया जाना

### तेघड़ा वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 15 एवं 16 के तहत एक विनिर्माता व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट लेगा जब वह अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावे किसी इनपुट से उसके द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना खरीदों पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट को घटाने के बाद की जाएगी।

के भीतर से ही उस पर राज्य में कर का भुगतान करने के बाद किया गया था, जिसके लिए व्यवसायी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायी को रिवर्स क्रेडिट की संगणना करनी थी तथा इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की कुल राशि से घटाया जाना था, ₹ 77.58 लाख का रिवर्स क्रेडिट व्यवसायी द्वारा कम संगणित की गई थी। रिटर्न की संवीक्षा करते समय निर्धारण प्राधिकारी चूक का पता लगाने में

जून 2009 एवं मार्च 2010 के बीच हमने पाया कि 11 व्यवसायियों (पाँच कर निर्धारित एवं छः स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान ₹ 75.76 करोड़ मूल्य के

जनवरी 2010 में स्व-कर निर्धारित रिटर्न से हमने पाया कि कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के एक विनिर्माता व्यवसायी ने वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान ₹ 72.10 करोड़ मूल्य के करदेय वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया। इन वस्तुओं के इनपुट का क्रय भी राज्य

<sup>6</sup> बेतिया, दानापुर, पाटलीपुत्र, पटना केन्द्रीय, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं रक्सौल।

विफल रहे। व्यवसायी द्वारा स्व-कर निर्धारण पर आधारित लेखापरीक्षा अवलोकन से ₹ 2.33 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 3.10 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति का पता चला।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया लेकिन ₹ 3.10 करोड़ के बदले मात्र ₹ 1.89 करोड़ के लिए ही माँग सुनित किया। उत्तर की जाँच करने पर हमलोगों ने देखा कि निर्धारण प्राधिकारी ने रिवर्स क्रेडिट की संगणना करने में भूल की थी। आगे उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

## 2.14 कटौतियों की गलत अनुमति

### पाँच<sup>7</sup> वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के तहत एक कार्य संवेदक, मजदूरी एवं किसी प्रकार के प्रभार जैसे कि मजदूरी एवं सेवाओं के मद में उप संवेदक को किया गया भुगतान की राशि, योजना, रूपांकन एवं वास्तुकार फीस हेतु प्रभार, उपभोज्य वस्तुओं की लागत किराये पर प्राप्त किए गए मशीन एवं औजार हेतु प्रभार, मजदूर एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूर एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्च, संवेदक द्वारा मजदूर एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के तहत छूट प्राप्त मालों अथवा लेन-देनों पर, कटौती लिए जाने हेतु योग्य है।

छ: व्यवसायियों (कार्य संवेदकों) के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से अक्टूबर 2009 एवं फरवरी 2010 के बीच हमने पाया कि वर्ष 2005–08 के दौरान उन्होंने ₹ 27.73 करोड़ की कटौती का लाभ उन मदों पर प्राप्त किया जो अधिनियम के तहत कटौती योग्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जिसकी संगणना ₹ 15.96 करोड़ के वस्तुओं के विभाजित मूल्य पर की गई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने तीन<sup>8</sup> अंचलों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा तीन मामलों में ₹ 1.02 करोड़ की माँग का सृजन किया। हमलोग स्वीकार्य मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

<sup>7</sup> बैगुसराय, फारबिसगंज, हाजीपुर, पाटलीपुत्र एवं पटना दक्षिणी।  
<sup>8</sup> हाजीपुर, पाटलीपुत्र एवं पटना दक्षिणी।

## 2.15 अवनिर्धारित कर का पता नहीं लगाया जाना

### हाजीपुर वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31(2) के तहत उन मामलों में जहाँ व्यवसायी ने बिक्री अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का छिपाव किया है, छोड़ दिया है अथवा उसका पूर्ण एवं सही ब्योरे को दर्शाने में विफल रहा है, विहित प्राधिकारी, व्यवसायी को ब्याज की राशि के अलावे कर निर्धारण से वचित विक्रय अथवा क्रय आवर्त जिसका कर निर्धारण हो गया है अथवा किया जाना है, पर आरोप्य कर की राशि का तीन गुणा अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु निर्देश देगा।

के गलत निर्धारण का पता नहीं लगाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 24.09 लाख के कर की कम वसूली हुई। पुनः मार्च 2010 तक 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर संगणित ₹ 13 लाख के ब्याज के अलावे व्यवसायी ₹ 72.26 लाख का अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु भी उत्तरदायी था। उपरोक्त मामले में कुल प्रभाव ₹ 1.09 करोड़ की गणना की गई है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 29.52 लाख की मांग सृजित की। हालाँकि, अन्तर राशि ₹ 79.73 लाख के लिए मांग सृजित नहीं किये जाने का कारण जबाब में नहीं बताया गया है। वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

## 2.16 केन्द्रीय बिक्री कर के अवनिर्धारण के कारण कर का कम आरोपण

### पटना पश्चिमी वाणिज्यकर अंचल

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(क) के तहत यदि कोई व्यवसायी अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण के मद में छूट का दावा करते समय अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तब उक्त लेन-देन, बिक्री माना जाएगा। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2) पुनः प्रावधित करता है कि मालों की अंतर्राज्यीय बिक्री (घोषित वस्तुओं के अलावे) पर कर की दर 10 प्रतिशत अथवा राज्य में लागू दर, जो भी अधिक हो, होगा। डी.सी.एस.टी.बनाम आयेशा होजरी फैक्ट्री (1992) 85 ऑफ एस.टी.सी.106 एस.सी. और सिडवल रेफ्रीजेरेशन बनाम हरियाणा राज्य (1993) 89 एस.टी.सी. 97 पी एवं एच मामलों में यह न्याय निर्णय है कि राज्य में लागू दर का आरोपण करते समय अन्य उद्ग्रहण, जैसे अधिभार एवं अतिरिक्त कर भी आरोप्य है।

स्व-कर निर्धारित रिटर्न से अक्टूबर 2009 में हमने पाया कि एक व्यवसायी, जिसका वर्ष 2006–07 के दौरान सकल आवर्त ₹ 19.54 करोड़ तथा कर देय आवर्त ₹ 12.97 करोड़ था, ने अपना कर दायित्व ₹ 110.87 लाख की सही कर की राशि के बदले मात्र ₹ 86.78 लाख ही घोषित किया था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर दायित्व

जुलाई एवं अगस्त 2009 के बीच हमने पाया कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के दौरान ₹ 19.09 करोड़ मूल्य के टेलीविजन का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण के दावे के समर्थन में कोई घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया। निर्धारण प्राधिकारी अप्रैल 2009 में कर निर्धारण पूरा करते समय व्यवसायी के दावे को अस्वीकार कर दिया एवं अतिरिक्त कर तथा अधिभार के अलावे 12 प्रतिशत के राज्य दर के बदले 10 प्रतिशत के दर पर कर का

आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 84.62 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 84.62 लाख हेतु माँग का सृजन किया। वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

### 2.17 व्यवसाय के बंद होने के पश्चात् भंडार के अंत शेष पर कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

#### पाटलीपुत्र वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(5) के प्रावधानों के तहत एक निबंधित व्यवसायी को अपने व्यवसाय को बंद या छोड़े जाने की तिथि अथवा बाद की तिथि बशर्ते कि आयुक्त इस अवधि को विस्तारित किए हों, के दिन उसके पास पड़े मालों के भंडार शेष पर बारह लगातार महीनों की अवधि के भीतर कर का भुगतान करना होगा। पुनः धारा 31(2) (क) एवं (ख) में प्रावधान है कि व्यवसायी द्वारा बिक्री अथवा क्रय को छिपाने, छोड़े जाने अथवा पूर्ण एवं सही ब्योरा प्रस्तुत करने में विफल रहने के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ऐसे छिपाव पर भुगतेय कर के अलावे ब्याज एवं भुगतेय कर की राशि के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड भुगतान करने हेतु व्यवसायी को निर्देश देगा।

निर्माण कार्य से जुड़े एक व्यवसायी के रव-कर निर्धारित रिटर्न से दिसम्बर 2009 एवं जनवरी 2010 के बीच हमने पाया कि उसने अपना व्यवसाय वर्ष 2006–07 के पश्चात् बंद कर दिया था तथा मई 2007 में अपना अंत शेष शून्य दर्शाते हुए निबंधन को निरस्त करने हेतु आवेदन दिया। लेकिन वर्ष 2006–07 की अवधि के लिए व्यवसायी के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक में 31 मार्च 2007 को ₹ 1.18 करोड़ मूल्य के माल का अंत शेष दर्शाया गया था,

जो यह इंगित करता है कि निबंधन के निरस्तीकरण हेतु आवेदन में अंत शेष 'शून्य' की घोषणा गलत थी। फिर भी निर्धारण प्राधिकारी इस तथ्य का पता नहीं लगाए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.88 लाख के कर की वसूली नहीं हुई। पुनः ₹ 6.96 लाख के ब्याज के साथ-साथ ₹ 38.64 लाख के अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु भी व्यवसायी उत्तरदायी थे, परिणामस्वरूप ₹ 58.48 लाख के राजस्व बकाये का पता नहीं लगा।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 12.88 लाख का मांग सृजित किया। वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

## 2.18 अधिभार आरोपित नहीं किया जाना

### पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 ए के तहत निर्गत अधिसूचना में हाई स्पीड डीजल एवं लाइट स्पीड डीजल की बिक्री पर अधिभार आरोपित करने हेतु प्रावधान है। पुनः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (2) विहित करता है कि अनिवंधित व्यवसायियों को मालों (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की दर उस राज्य के बिक्री कर नियमों के तहत लागू दर के समान होगा। इसके अतिरिक्त अन्य उद्ग्रहण, जैसे राज्य के बिक्री कर नियमों के तहत लागू अधिभार एवं अतिरिक्त कर भी आरोपित किया जाना है।

10 प्रतिशत की दर पर आरोप्य ₹ 31.15 लाख का अधिभार आरोपित नहीं किया गया था।

मामला सरकार/विभाग को मई 2010 में प्रतिवेदित किया गया था; हमलोगों को उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

## 2.19 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

### दानापुर वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवेश कर अधिनियम के तहत किए गए कर का भुगतान बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत उसके दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जाएगी, बशर्ते कि कर में की जाने वाली कमी विनिर्माता के पास तभी उपलब्ध होगा, जब आयातित अनुसूचित मालों का उपयोग अथवा खपत पुनर्बिक्री हेतु वस्तुओं के विनिर्माण में किया गया हो। आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं के सिर्फ एक भाग की बिक्री बिहार राज्य के भीतर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में या भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात के क्रम में किए जाने के मामले में कर दायित्व में कमी किए जाने का दावा समानुपातिक रूप से घटाया जाएगा।

एक व्यवसायी के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से फरवरी एवं मार्च 2010 के बीच हमने पाया कि उसने वर्ष 2007–08 के दौरान ₹ 15.58 करोड़ के हाई स्पीड डीजल एवं लाइट स्पीड डीजल का अंतर्राज्यीय बिक्री अनिवंधित व्यवसायियों को किया, जिसपर व्यवसायी द्वारा 20 प्रतिशत की दर से ₹ 3.12 करोड़ का कर स्वीकार किया गया। लेकिन कर पर

अंतरण किया था, जिसपर प्रवेश कर का समायोजन मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध अनुमान्य नहीं था। मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध प्रवेश कर का समायोजन ₹ 25.79 लाख से समानुपातिक घटा कर किया जाना था, परन्तु व्यवसायी द्वारा मात्र ₹ 6.04 लाख ही घटाया गया था। कम घटाये जाने के परिणामस्वरूप भुगतेय मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध प्रवेश कर का ₹ 19.75 लाख का अधिक समायोजन हुआ जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया गया।

सरकार एवं संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकारी ने कहा कि इसी व्यवसायी के पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए अपीलीय प्राधिकारी ने माँग को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि कर निर्धारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 के तहत नहीं की गई है तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश उद्भूत किया। जवाब नियम के अनुसार नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में निर्धारण प्राधिकारी को धारा 33 के तहत कर निर्धारण करने का अवसर था तथा उपरोक्त न्याय निर्णय वर्ष 2003 से संबंधित है जो बिहार स्थित एक व्यापार संस्थान से संबंधित था न कि एक विनिर्माता से तथा विनिर्माताओं हेतु प्रावधान शामिल किए जाने के पहले का निर्णय था। इस संबंध में आगे का उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

## 2.20 कर की रियायती दर की गलत अनुमति

### फारबिसगंज एवं हाजीपुर वाणिज्यकर अंचल

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के तहत बिहार सरकार ने अक्टूबर 2006 में एक अधिसूचना निर्गत कर लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा विनिर्मित मालों की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की दर एक प्रतिशत निर्धारित किया। पुनः भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 में प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है।

चार व्यवसायियों के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से सितम्बर 2009 एवं फरवरी 2010 के बीच हमने पाया कि प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश के निर्धारित मानदंड<sup>9</sup> के अनुसार वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान वे लघु अथवा मध्यम उद्योग की श्रेणी में नहीं आते थे, परन्तु उनलोगों ने ₹ 4.21 करोड़

के अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर का एक प्रतिशत की रियायती दर का लाभ लिया, जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया गया। कर की रियायती दर की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने हाजीपुर अंचल से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा दो मामलों में ₹ 3.59 लाख की माँग सुनिश्चित की गई। स्वीकार्य मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

<sup>9</sup>

सूक्ष्म उद्योग: प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश ₹ 25 लाख से अधिक नहीं हो।

लघु उद्योग: ₹ 25 लाख से अधिक परन्तु ₹ ३० लाख से कम।

मध्यम उद्योग: ₹ ३० लाख से अधिक परन्तु ₹ १० करोड़ से कम।

## ख : प्रवेश कर

## 2.21 आयातित मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

पाँच<sup>10</sup> वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी कर निर्धारण के संबंध में मालों की बिक्री अथवा क्रय पर कोई कर का अवनिर्धारण हुआ है अथवा कर निर्धारण से वंचित रह गया है तब विहित प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा देय कर का चार वर्षों के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा। विक्रय अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी द्वारा जानबूझ कर गलती किए जाने की स्थिति में विहित प्राधिकारी भुगतेय ब्याज की राशि के अलावे छूटे हुए कर निर्धारण पर कर की राशि का तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा। आरोपित अर्थदण्ड छूटे हुए आवर्त पर कर की राशि के अतिरिक्त होगा।

हमने पाँच व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न (ख-कर निर्धारित) के साथ रोड परमिट की उपयोगिता, घोषणा पत्रों, क्रय विवरणियों, व्यापार एवं विनिर्माण खातों इत्यादि का तिर्यक जाँच किया तथा मई 2009 एवं जनवरी 2010 के बीच पाया कि वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान व्यवसायियों ने ₹ 238.39 करोड़ के अधिसूचित मालों के आयात/क्रय का छिपाव किया। निर्धारण प्राधिकारी या तो रिटर्न की संवीक्षा नहीं की अथवा संवीक्षा करने के समय छिपाव का पता लगाने में विफल रहे,

जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा की तिथि तक आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 56.58 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)								
क्र० सं०	अंचल का नाम व्यवसायियों की सं०	अवधि	वस्तु दर (प्रतिशत)	वास्तविक क्रय लेखापित किया गया क्रय	छिपाव	प्रवेश कर अर्थदण्ड	ब्याज की अवधि 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से आरोप्य ब्याज की राशि	कुल
1	भागलपुर 1	2007–08	विद्युत सामग्रियाँ 8	8,565.16 278.04	8,287.12	662.97 1,988.91	14 माह 139.22	2,791.10
2	दानापुर 1	2007–08	विद्युत सामग्रियाँ 8	20.62 शून्य	20.62	1.65 4.95	18 माह 0.45	7.05
3	गया 1	2007–08	सीमेन्ट 12	368.63 304.93	63.70	7.64 22.93	16 माह 1.83	32.40
4	मुजफ्फरपुर परिचमी 1	2007–08	मोटर वाहनों का चेसिस एवं लुब्रिकेंट 8	300.32 शून्य	300.32	24.02 72.08	13 माह 4.69	100.79
5	पाटलीपुत्र 1	2006–07	दूरसंचार सामग्रियाँ 4	51,997.44 36,830.08	15,167.36	606.70 1,820.08	33 माह 300.31	2,727.09
कुल				61,252.17 37,413.05	23,839.12	1,302.98 3,908.95	446.50	5,658.43

<sup>10</sup> भागलपुर, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं पाटलीपुत्र।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को जुलाई 2010 में स्वीकार किया तथा चार<sup>11</sup> अंचलों के चार मामलों में ₹ 31.23 करोड़ हेतु माँग सृजित किया। स्वीकार्य मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन एवं दानापुर अंचल से संबंधित उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

## 2.22 कर का गलत दर लगाया जाना

### चार<sup>12</sup> वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जो 20 प्रतिशत से अधिक न हो, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा जैसाकि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचित मालों एवं भिन्न-भिन्न स्थानीय क्षेत्रों हेतु विभिन्न दर विनिर्दिष्ट किया गया हो। पुनः अवनिर्धारित राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भी आरोप्य है।

मई एवं दिसम्बर 2009 के बीच हमने पाया कि नौ व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान ₹ 15.61 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार किया। निर्धारण प्राधिकारी या तो व्यवसायी द्वारा दाखिल रिटर्न की संवीक्षा नहीं की

अथवा कुछ संवीक्षित रिटर्न के मामले में गलत दर पर प्रवेश कर का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.26 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.23 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)								
क्र० सं०	अंचल का नाम व्यवसायियों की सं०	वस्तु का नाम	वर्ष	आयात मूल्य	आरोप्य कर की दर आरोपित (प्रतिशत में)	कम आरोपित राशि	ब्याज की अवधि 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से आरोप्य ब्याज की राशि	कुल
1	भागलपुर 3	तम्बाकू	2006–07 एवं 2007–08	203.97	8 5	6.12	13 से 25 माह 1.40	7.52
2	हाजीपुर 2	तम्बाकू उत्पाद	2007–08	370.49	16 5	40.75	17 माह 10.39	51.14
		विद्युत सामग्रियाँ	2007–08	268.19	8 4	10.73	17 माह 2.74	13.47
3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी 3	तम्बाकू उत्पाद	2007–08	171.28	16 5	18.84	13 माह 3.68	22.52
		विद्युत सामग्रियाँ	2007–08	349.06	8 4	13.96	13 माह 2.72	16.68
4	पाटलीपुत्र 1	विद्युत सामग्रियाँ	2007–08	198.27	8 4	7.93	28 माह 3.33	11.26
कुल				1,561.26		98.33	24.26	122.59

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने सितम्बर 2010 के बीच लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा सभी चार अंचलों से संबंधित आठ

<sup>11</sup> भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी एवं पाटलीपुत्र।

<sup>12</sup> भागलपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी एवं पाटलीपुत्र।

मामलों में ₹ 1.21 करोड़ हेतु माँग का सृजन किया। सरकार/विभाग ने भागलपुर अंचल के एक अन्य मामले में ₹ 4.49 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित की। पुनः भागलपुर अंचल के एक मामले में सरकार/विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2010) कि अधिसूचना संख्या 38 दिनांक 1 अप्रैल 2008 के लागू होने से पहले 6 नवम्बर 2001 से 31 मार्च 2008 की अवधि के दौरान अधिसूचित वस्तुओं के लिए प्रवेश कर का कोई दर अधिसूचित नहीं था। अतः तम्बाकू के लिए एस0 ओ0 92 दिनांक 25 जुलाई 2001 के अनुसार विहित दर (पाँच प्रतिशत) अनुमान्य था। जवाब सही नहीं है, क्योंकि गजट अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल 2008 (संशोधन एवं ऐलिडेसन अधिनियम, 2008) के अनुसार सरकार ने सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को मान्य ठहराया था। इस प्रकार, वर्ष 2007–08 के दौरान एस0 ओ0 159 दिनांक 22 अगस्त 2003 के अनुसार तम्बाकू पर आठ प्रतिशत की दर पर प्रवेश कर अनुमान्य था तथा इस प्रकार व्यवसायी आठ प्रतिशत की दर पर प्रवेश कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। स्वीकार्य मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन तथा आगे की प्रगति हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।